

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 87 / 2011 सत्रवाद

संस्थित दिनांक 18-04-2011

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना
गोहद चौक जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. बाबूराम पुत्र ठकुरीप्रसाद जाटव**फौत**
2. भवरसिंह पुत्र बाबूराम जाटव उम्र 46 वर्ष।
3. राकेश पुत्र बाबूराम जाटव उम्र 39 वर्ष। समस्त
निवासी ग्राम चिनकू पुरा थाना गोहद चौक,
परगना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0।

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0 139 / 2011 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 87 / 2011

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्तगण द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

//नि - र्ण - य//

//आज दिनांक 04-11-2015 को घोषित किया गया//

01. आरोपीगण का विचारण धारा 294, 323, 427, 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0दं0वि0 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। आरोपीगण पर आरोप है कि दिनांक 15. 11.2010 को 09 बजे फरियादी जसवंत के मकान के सामने ग्राम चिनकूपुरा में फरियादी को सार्वजनिक स्थान या उसके निकट अश्लील गाली गलोज कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, उन पर यह भी आरोप है कि उक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी जसवंतसिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। उन पर यह भी आरोप है कि उक्त दिनांक समय स्थान पर बंदूक की गोली मोटरसाइकिल के दोनों टायरों व लाईट में

मारकर रिष्टि कारित की एवं उन पर यह भी आरोप है कि उक्त दिनांक समय स्थान पर माउजर कट्टा से फरियादी जसवंतसिंह पर फायर किया यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी हो जाते और इस प्रकार फायर कर फरियादी को उपहति कारित की। आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि उक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहआरोपीगण के साथ मिलकर फरियादी जसवंत को प्राण घातक उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए माउजर कट्टे से ऐसी परिस्थितियों में फायर किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी होते।

02. प्रकरण में यह अविवादित है कि आरोपी बाबूराम की प्रकरण के लंबन के दौरान मृत्यु हो जाने से उसके सांबंध में अपराध का उपशमन हो चुका है।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 15.11.2010 को फरियादी जसवंत सिंह द्वारा अस्पताल गोहद में घायल अवस्था में रिपोर्ट की, कि आज सुबह करीब नौ बजे वह अपने मकान के बाहर बैठा था तभी राकेश, भवरसिंह और बाबूराम आए जो कि राकेश कट्टा, भवरसिंह 12बोर बंदूक और बाबूराम लाठी लिए हुए थे। आरोपी राकेश बोला कि मादरचोद मेरे 20,000/- रूपए दे तब उसने कहा कि उसके पास नहीं है। इसी बात पर तीनों लोगों ने उसे पटक लिया और बाबूराम ने उसको पीठ में लाठी मारी तथा राकेश ने जान से मारने के लिए माउजर का कट्टा मारा जो कि उसके दाहिने बाजू में लगा तथा भवरसिंह बंदूक ताने खड़ा रहा। भवरसिंह ने उसकी मोटरसाइकिल में बंदूक मारी जिससे उसके दोनों टायर व लाईट टूट गई तथा टंकी में गोली मारी। घटना को कल्याणसिंह पुत्र बेजूराम तथा मानसिंह पुत्र कल्याणसिंह देख रहे थे। उक्त रिपोर्ट पर से देहालीनासली 0/10 धारा 307, 323, 294, 427, 34 भा0दं0वि0 पर प्र.पी. 14 की लेखबद्ध की गई जो कि थाना गोहद चौक पर असल कायमी अपराध क्रमांक 177/2010 प्र.पी. 9 का कायम किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 1 के अनुसार बनाया गया एवं घटनास्थल से तीन 12बोर बंदूक के कारतूस के खोखे जिनकी पेंदी पर शक्तिमान लिखा है एवं ईंट के टुकड़े 6 एवं एक राजदूत मोटरसाइकिल काले रंग की जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर एम.पी. 06 सी. 8272 प्र.पी. 2 के अनुसार जप्त की गई। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए एवं आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपी भवरसिंह से एक 12बोर एकनाली बंदूक एवं लाइसेंस नम्बर एम.पी./बी.एच.डी./6/आई/99/2008बी व तीन जिंदा कारतूस प्र.पी. 6 के अनुसार जप्त किए गए एवं आरोपी बाबूराम से एक लाठी की जप्ती की गई। जप्तशुदा अग्नेयशस्त्र का परीक्षण राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से कराया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो

कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपीगण के विरुद्ध धारा 294, 323, 427, 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0दं0वि0 का आरोप पाये जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

06. आरोपीगण के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 15.11.2010 को सुबह नौ बजे जसबंतसिंह के मकान के सामने ग्राम चिनकूपुरा थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में फरियादी जसबंतसिंह को सार्वजनिक स्थान या उसके निकट अश्लील गाली गलोज कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
2. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी जसबंतसिंह की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?
3. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी की मोटरसाइकिल के टायरों व लाइट में बंदूक की गोली मारकर उसे नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की?
4. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी जसबंतसिंह को जान से मारने की नियत माउजर कट्टे से फायर किया गया?
5. क्या फरियादी पर माउजर कट्टे से इस आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थितियों में फायर कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो हत्या के दोषी होते?
6. क्या फरियादी जसबंत को फायर कर उसे उपहति कारित की?

बिकल्प

क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहआरोपीगण के साथ फरियादी जसबंतसिंह की मृत्यु कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए माउजर कट्टे से इस आशय या ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में फायर किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो हत्या के दोषी होते?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 06:—

07. डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 5 ने दिनांक 15.11.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में पदस्थ दौरान आहत जसबंतसिंह का चिकित्सीय परीक्षण किया था उसके परीक्षण में निम्न चोटें पाई जानी बताई गई है— दाहिनी भुजा के अंदर की तरफ 0.9 से.मी. गुणा 1.5 से.मी. का फटा हुआ घाँव जिसके किनारे बाहर की तरफ मुड़े हुए थे, घाँव के आसपास 4 गुणा 3 से.मी. भाग पर कालापन मौजूद था। दाईं भुजा में अंदर की तरफ 0.5 गुणा 0.6 से.मी. का फटा हुआ घाँव था जिसके किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। उक्त दोनों चोटों के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। अपने अभिमत में उन्होंने बताया है कि चोट अग्नेयशस्त्र से आना संभावित है जो कि चोट क्रमांक 1 निकासी घाँव और चोट क्रमांक 2 प्रवेश घाँव है। आहत को गोली नजदीक से चलाई गई थी। आहत को आई हुई चोट परीक्षण के 6 घण्टे के अंदर की थी। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने आगे यह बताया है कि आहत का एक्सरे परीक्षण करने पर उन्होंने आहत को कोई अस्थिभंग या बाहरी कण मौजूद होना नहीं पाया गया है। एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 8 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

08. इस प्रकार डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 5 के कथन से स्पष्ट है कि आहत जसबंत का मेडीकल परीक्षण किये जाने पर उनके द्वारा उपरोक्त बताई गई उपहति पाई गई थी। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या आहत को उपरोक्त बताई गई उपहति आरोपीगण या किस आरोपी के द्वारा कारित की गई? क्या आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा फरियादी जसबंतसिंह को जान से मारने की नियत से फायर कर उपहति कारित की? क्या आरोपीगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए फरियादी जसबंतसिंह को जान से मारने की नियत से उपहति कारित की?

09. प्रकरण में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण के फरियादी/आहत जसबंतसिंह की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है जिस कारण उसके न्यायालय में कथन नहीं हो सके हैं। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट देहातीनालसी में लेखबद्ध करना ए.एस.आई बालकिशन अ0सा0 9 के द्वारा बताया गया है जिसने कि प्र.पी. 14 की देहातीनालसी रिपोर्ट शून्य पर फरियादी जसबंत के द्वारा लिखाई जाने पर लेखबद्ध करना बताया है। प्र.पी. 14 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना उसके द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त देहातीनालसी थाने पर लाकर पेश करना आरक्षक राजासिंह दांगी अ0सा0 6 के द्वारा

बताया गया है जो कि थाना गोहद में देहातीनालसी रिपोर्ट के आधार पर प्र.पी. 9 की प्रथम सूचना रिपोर्ट नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी अ0सा0 8 के द्वारा लेखबद्ध करना बताया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 9 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

10. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 14 में घटना के समय कल्याणसिंह तथा मानसिंह उपस्थिति रहने और उनके द्वारा घटना देखी जानी बताई गई है। अभियोजन के द्वारा साक्षी मानसिंह अ0सा0 1 एवं कल्याणसिंह अ0सा0 2 के रूप में परीक्षित कराए गए हैं। उपरोक्त अभियोजन साक्षी मानसिंह अ0सा0 1 के द्वारा दोनों पक्षों के मध्य गाली गलोज होने की घटना देखना बताया है, इसके अतिरिक्त कोई भी घटना उनके द्वारा देखे जाने के संबंध में उसके द्वारा कोई बात नहीं बताई गई है। उक्त साक्षी मानसिंह को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्ट करने वाला कोई भी तथ्य किसी भी बिन्दु पर नहीं आया है। घटना के अन्य चक्षुदर्शी बताए गए साक्षी कल्याणसिंह अ0सा0 2 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया जाकर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उक्त साक्षी के कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्ट करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।

11. इस प्रकार अभियोजन प्रकरण का कोई भी समर्थन घटना के चक्षुदर्शी साक्षी मानसिंह अ0सा0 1 और कल्याणसिंह अ0सा0 2 के द्वारा नहीं किया गया है। अपर लोक अभियोजक के द्वारा अपने तर्क में यह व्यक्त किया गया है कि घटना के फरियादी/रिपोर्टकर्ता जसबंतसिंह की मृत्यु हो जाने से उसके कथन नहीं हो सके हैं। घटना के पश्चात् देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 14 जसबंतसिंह के द्वारा दर्ज कराई गई है तथा जसबंत के धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन भी लिए गए हैं जो कि जसबंत के कथन लेखबद्ध करना विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक बी.एल.बंसल अ0सा0 7 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है। ऐसी दशा में जबकि जसबंत की मृत्यु हो चुकी है उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं धारा 161 दं.प्र.सं. के कथनों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अनुसार मृत्युकालीन कथन मानते हुए अभियोजन की प्रमाणिकता सिद्ध मानी जा सकती है।

12. जहाँ तक जसबंत की मृत्यु का जो प्रश्न है, यद्यपि यह सत्य है कि जसबंत की मृत्यु हो चुकी है जिसकी कि फौति रिपोर्ट प्रकरण में प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट देहातीनालसी प्र.पी. 14 की जसबंतसिंह के द्वारा दर्ज कराई जानी ए.एस.आई बालकिशन अ0सा0 9 के द्वारा बताई गई है और जसबंत के धारा 161

के कथन लेखबद्ध करना बी.एल.बंसल अ0सा0 7 के द्वारा बताया गया है। उपरोक्त संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि देहातीनालसी रिपोर्ट में आरोपीगण के घटनास्थल पर आने एवं उनके द्वारा गाली गलोज करने तथा पैसों मागने की बात को लेकर फरियादी जसबंत के साथ मारपीट करने और उसे जान से मारने की नियत से आरोपी राकेश के द्वारा कट्टे से उस पर फायर किया जाने के संबंध में और उनके द्वारा फरियादी की मोटरसाइकिल में भी बंदूक मारने जिससे कि उसके टायर एवं लाइट टूट जाने का उल्लेख आया है। फरियादी जसबंत के द्वारा दर्ज कराई गई उपरोक्त रिपोर्ट व उसके धारा 161 दं.प्र.सं. के कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटनास्थल पर अन्य चक्षुदर्शी साक्षी मानसिंह व कल्याणसिंह उपस्थित होना प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित है, किन्तु कल्याणसिंह और मानसिंह के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। फरियादी के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा उसके धारा 161 दं.प्र.सं. के कथनों के साक्ष्य मूल्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में जबकि चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एवं विवेचना अधिकारी के द्वारा भी विशिष्ट रूप फरियादी के द्वारा क्या तथ्य अपनी रिपोर्ट में लिखाए गए थे एवं कथन में दिए गए थे उसको प्रमाणित नहीं किया गया है, बल्कि केवल देहातीनालसी रिपोर्ट लेखबद्ध करना एवं धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध करना उनके द्वारा बताया गया है। ऐसी दशा में मात्र देहातीनालसी रिपोर्ट और धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन के परिप्रेक्ष्य में उसे मृत्युकालीन कथन मानते हुए आरोपीगण के विरुद्ध प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं मानी जा सकती है, यह आवश्यक है कि उक्त तथ्य की सम्पुष्टि किसी अन्य साक्ष्य के आधार हो।

13. अभियोजन के द्वारा घटना में आरोपी राकेश के द्वारा फरियादी को दाहिने हाथ की बाजू में कट्टे से मारने और उससे फरियादी को चोटें आना बताया है, किन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आरोपी राकेश के घर में मकान की तलाशी लिये जाने पर भी उससे कोई कट्टे आदि की जप्ती नहीं हुई है और कथित कट्टा जिससे कि आहत जसबंत को चोटें पहुँचाई जानी बताई गई है उसकी भी कोई जप्ती नहीं हुई है। जहाँ तक सहआरोपी भवरसिंह से जप्तशुदा 12 बोर की एकनाली बंदूक की जप्ती प्र.पी. 6 के अनुसार किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त बंदूक आरोपी भवरसिंह की लाइसेंसी बंदूक है। उक्त बंदूक की जप्ती के संबंध में जप्ती के साक्षी लक्ष्मीनारायण अ0सा0 3 के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह बताया गया है कि पुलिस ने दस्तावेज प्र.पी. 5 व 6 पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। यह भी उल्लेखनीय है कि भवरसिंह के द्वारा आहत जसबंतसिंह को कोई चोट पहुँचाई गई हो ऐसा कहीं भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं आया है।

14. विवेचना अधिकारी बी.एल.बसंत अ0सा0 7 ने फरियादी के मकान के सामने तीन खाली खोखे 12बोर के एवं ईंट के छोटे टुकड़े तथा एक राजदूत मोटरसाइकिल जिसकी हेडलाईट टूटी हुई थी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 2 बनाना और आरोपी बाबूराम के कब्जे से एक वांस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 11 तैयार करना भी बताया है। प्र.पी. 2 के दस्तावेज पर साक्षी मानसिंह अ0सा0 1 तथा राजेन्द्रसिंह अ0सा0 2 के द्वारा अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, किन्तु उक्त साक्षीगण ने उपरोक्त वस्तुओं की घटनास्थल से जप्ती का कोई समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार स्वयं साक्षियों के कथनों से घटनास्थल से कथित रूप से तीन खाली खोखे 12बोर की बंदूक के, ईंट के टुकड़े और मोटरसाइकिल जिसकी कि हेड लाइट टूटी होना बताया गया है की जप्ती का तथ्य सम्पुष्ट नहीं होता है। उक्त जप्तशुदा बताए गए खोखों की जाँच की कोई रिपोर्ट भी नहीं है जिससे कि इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके कि राजदूत मोटरसाइकिल की हेडलाईट एवं टायर में गोली के निशान है और वह गोली लगने से टूटी है, ऐसी कोई परीक्षण रिपोर्ट नहीं है जिससे कि उक्त तथ्य की पुष्टि हो सके।

15. प्रकरण में अभियोजन के द्वारा जप्तशुदा बंदूक और खाली खोखे तथा जिन्दा कारतूस के परीक्षण उपरान्त कोई भी रिपोर्ट प्रकरण में नहीं आई है। यद्यपि जप्तशुदा लाठी का परीक्षण रिपोर्ट प्रकरण में प्राप्त होकर पेश है, किन्तु लाठी में कोई भी रक्त आदि निशान नहीं पाए गए हैं। ऐसी दशा में अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि किसी वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर भी होनी नहीं पाई जाती है।

16. यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में नुकसानी के संबंध में कोई पंचनामा भी तैयार नहीं किया गया है और न ही पंचनामा प्रमाणित किया है, किसी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा भी घटनास्थल पर मोटरसाइकिल में गोली मारने और उसे क्षतिग्रस्त करने के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया गया है। ऐसी दशा में इस आधार पर भी फरियादी को रिष्टि कारित करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है।

17. इसके अतिरिक्त घटना में आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा फरियादी जसबंत को अश्लील गाली गलोज करने या अश्लील शब्द उच्चारित किये जाने के संबंध में भी किसी साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में कोई तथ्य नहीं बताया गया है। ऐसी दशा में जबकि किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा इस बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन या पुष्टि नहीं की गई है, इस बिन्दु पर भी अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं मानी जा सकती है।

18. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यद्यपि यह सत्य है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट देहातीनालसी प्र.पी. 14 फरियादी जसबंतसिंह के द्वारा लेखबद्ध कराई गई है जिसमें आरोपीगण के मौजूद होने और उनके द्वारा घटना कारित करने के संबंध में उसके द्वारा उल्लेख कराया गया है। जसबंतसिंह की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है। जसबंतसिंह के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट और उसके पुलिस को दिए गए धारा 161 के कथन के परिप्रेक्ष्य में उसे मृत्युकालीन कथन मानते हुए जबकि इस संबंध में किसी चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अथवा किसी अन्य सम्पुष्टि कारक साक्ष्य के के आधार पर अभियोजन प्रकरण की पुष्टि नहीं होती है। इस संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध होना नहीं मानी जा सकती है।

19. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का वर्तमान प्रकरण किसी भी बिन्दु पर आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। अभियोजन प्रकरण को प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपीगण भवरसिंह और राकेश धारा 294, 323, 427, 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20. प्रकरण में जप्तशुदा 12 बोर की एकनाली बंदूक नम्बर 10308, तीन जिंदा कारतूस एवं एक लाइसेंस आरोपी भवरसिंह से जप्त की जानी बताई गई है। उक्त लाइसेंसी बंदूक के संबंध में वैध एवं प्रभावी लाइसेंस और प्रमाण पेश होने पर अपील अवधि पश्चात् उसे बापस किया जाए। प्रकरण में जप्तशुदा बारह बोर बंदूक के तीन खाली खोखे एवं ईंट के टुकड़े एवं वांस की लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल राजदूत क्रमांक एम.पी. 06 सी. 8272 के संबंध में स्वामित्व का प्रमाण पेश होने पर अपील अवधि पश्चात् उसके स्वामी को बापस की जाए। यदि स्वामित्व के संबंध में कोई प्रमाण 06 माह के अंदर पेश नहीं किया जाता है तो उसकी नीलामी कर राशि राजकोष में जमा की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड